

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एलएचवी/स्वै0से0/सी-7/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती चन्द्रकान्ता यादव, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडोदामेव, खण्ड लक्ष्मणगढ़ (अलवर), जिनकी जन्म तिथि 26.07.1965 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 30.04.1987 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01.12.2017 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

-sd

(राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/एलएचवी/स्वै0से0/सी-7/2017/822 दिनांक:- 01.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आई.डी क्रमांक 1989/M/MH/17 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 240/MOS/M&H/17 दिनांक 16.10.2017 के क्रम में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर को उनकी आई.डी क्रमांक 6491 Pr.Sec./M&H/2017 दिनांक 18.10.2017 के क्रम में।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 1699 दिनांक 13.10.2017 के क्रम में।
5. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
8. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान जयपुर